

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी-6615
जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 158वीं बैठक दिनांक 20.12.2010 में लिये गये निर्णय का विवरण

दिनांक 4-1-2011

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 158.1	कार्यकारी समिति की 157वीं बैठक दिनांक 18.11.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 157वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 158.2	पत्रकार कॉलोनी (घौलाई) ए-ब्लॉक में व्यावसायिक भूखण्ड सं. 7 क्षेत्रफल 21.00 वर्गमीटर की नीलामी के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार नीलामी से कय किये गये पत्रकार कॉलोनी (घौलाई) ए-ब्लॉक में व्यावसायिक भूखण्ड सं. 7 क्षेत्रफल 21.00 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा करने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.निदे. (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
3 158.3	पत्रकार कॉलोनी (घौलाई) ए-ब्लॉक में व्यावसायिक भूखण्ड सं. 8 क्षेत्रफल 21.00 वर्गमीटर की नीलामी के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार नीलामी से कय किये गये पत्रकार कॉलोनी (घौलाई) ए-ब्लॉक में व्यावसायिक भूखण्ड सं. 8 क्षेत्रफल 21.00 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा करने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.निदे. (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
4 158.4	पत्रकार कॉलोनी (घौलाई) ए-ब्लॉक में व्यावसायिक भूखण्ड सं. 9 क्षेत्रफल 21.00 वर्गमीटर की नीलामी के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार नीलामी से कय किये गये पत्रकार कॉलोनी (घौलाई) ए-ब्लॉक में व्यावसायिक भूखण्ड सं. 9 क्षेत्रफल 21.00 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा करने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.निदे. (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
5 158.5	भूखण्ड सं. बी-187 महल योजना के बढे हुये क्षेत्रफल की नजराना राशि 6 वर्ष विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितिकरण करने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. बी-187 महल योजना के बढे हुये क्षेत्रफल की नजराना राशि 6 वर्ष विलम्ब से जमा होने से नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9	
6 158.6	जविप्रा क्षेत्र में फूल मालाओं आपूर्ति एवं साज सज्जा कार्य हेतु दर सविदा राशि से अधिक खर्च राशि की कार्यकारी समिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में फूल मालाओं आपूर्ति एवं साज सज्जा कार्य हेतु दर सविदा राशि से अधिक खर्च राशि की कार्यकारी समिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	वरिष्ठ उद्यान विज्ञ	
7 158.7	भूखण्ड सं. ए-52 गिरधारीपुरा के विलम्ब से जमा करायी गई नजराना राशि को स्वीकार करने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ए-52 गिरधारीपुरा के विलम्ब से जमा होने से नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-7	
8 158.8	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एफ-496 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-496 के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	

49


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9 158.9	सेन्द्रल स्पाईन योजना जगतपुरा में अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे स्वरूप दिये जाने वाले विकसित भूखण्डों के कम में मौका अनुसार देय क्षेत्रफल एवं आवंटित क्षेत्रफल में कमी बेशी रहने पर आवंटन दर का निर्धारण।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सेन्द्रल स्पाईन योजना जगतपुरा में अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे स्वरूप दिये जाने वाले विकसित भूखण्डों के कम में मौका अनुसार देय क्षेत्रफल एवं आवंटित क्षेत्रफल में कमी-बेशी रहने पर Strip की परिभाषा में न हो और स्वतंत्र प्लॉट न बने, ऐसे भूखण्डों में बड़े हुये क्षेत्रफल में आरक्षित दर से राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह तथ्य भी ध्यान में लाया गया कि जविप्रा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों के क्षेत्रफल भी बढ़ जाने के फलस्वरूप स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं होने की दशा में बड़े हुये क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर की दुगनी ली जाकर Strip of Land मानते हुये आवंटित की जा रही है, यह उचित नहीं है। उक्त बड़े हुये क्षेत्रफल को Strip of Land नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि यह आवंटी द्वारा मांग नहीं की जा रही है, अपितु जविप्रा द्वारा अन्य समान क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने एवं अन्य विकल्प नहीं होने की दशा में आवंटी को उक्त बड़े हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड दिया जा रहा है। अतः उक्त बड़े हुये क्षेत्रफल पर आरक्षित दर की दुगनी राशि लिया जाना उचित नहीं है। अतः जविप्रा की योजनाओं में आवंटी को बड़े क्षेत्रफल का भूखण्ड अन्य कोई वैकल्पिक भूखण्ड समान क्षेत्रफल का नहीं मिलने एवं बड़े हुये क्षेत्रफल का अन्य स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं होने की दशा में बड़े हुये क्षेत्रफल की राशि की गणना आरक्षित दर जिस पर भूखण्ड आवंटित किया गया है, वही लिया जाना उचित है। उक्तानुसार ही कार्यवाही की जावे, यह निर्णय पूर्ववर्ती निर्णयों पर प्रभावित नहीं होगा।	उपायुक्त जौन-9	
10 158.10	भूखण्ड सं. 564 सूरजपुरा भाटवाला डेयरी योजना के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. 564 सूरजपुरा भाटवाला डेयरी योजना के नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जौन-14	
11 158.11	प्राधिकरण सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बड़ा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बड़ा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त. (प्रशासन)	
12 158.12	श्री भंवरलाल गूर्जर पुत्र श्री कालूराम गूर्जर मिस्त्री ग्रेड-11 द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री भंवरलाल गूर्जर पुत्र श्री कालूराम गूर्जर मिस्त्री ग्रेड-11 द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
13 158.13	श्री शुभकरण बेनीवाल तहसीलदार की माताजी का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री शुभकरण बेनीवाल तहसीलदार की माताजी का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
14 158.14	प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों को अर्दली भत्ता दिये जाने सम्बन्धी।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण पुनः परीक्षण करने हेतु स्थगित किया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	

युज

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
15	158.15	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.08.09 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.08.09 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
16	158.16	For approval to execute work of package III A through existing contracts of package II A and II B against saving in their repetitive packages.	प्रस्तुत एजेण्डा, राज्य सरकार व प्राधिकरण की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि:- 1. दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित मेट्रो परियोजना के मद्देनजर प्राधिकरण स्तर पर उसी अनुबन्ध के अन्तर्गत सम्पादित करवा लिया जावे तथा मेट्रो कार्य के लिए होने वाला अतिरिक्त व्यय जे.एम.आर.सी. द्वारा वहन किया जावेगा। 2. पैकेज 3 (एटग्रेड) का क्रियान्वयन पैकेज 2ए एवं 2बी के संवेदकों से कार्यादेश राशि तक आनुपातिक समय सीमा स्वीकृत करते हुए सम्पादित करने की स्वीकृति दी गई तथा संशोधन से पूर्व पैकेज 2ए एवं 2बी के अन्तर्गत किये गये कार्यों का भी अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि:- • प्राइस एसक्लेशन की गणना के लिए संबन्धित कार्यादेशों के अन्तर्गत मूल कार्य के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि को आधार माना जावे। • दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड में मेट्रो परियोजना के समावेश करने से डिजाईन में होने वाले बदलाव के कारण, पूर्व सम्पादित कार्यों में आवश्यक संशोधन के लिए नियमानुसार पुर्नभरण किया जा सकेगा। • पैकेज 3 एवं दुर्गापुरा एलीवेटेड रोड का क्रियान्वयन करने वाले 2ए एवं 2बी के संवेदकों को, शेष सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के विरुद्ध दो समान किस्तों में 10 प्रतिशत ब्याज रहित मोबाईलेशन एडवान्स बैंक गारन्टी के विरुद्ध जारी करने एवं इन कार्यों के अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप पुनः वसूल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	Exe. Eng. (Project-I)	
17	158.17	प्रवर्तन अधिकारी के चार पदों को प्रवर्तन निरीक्षक में डाउन ग्रेड करने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण पुनः परीक्षण करने हेतु स्थगित किया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

यज

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
18	158.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित भू.सं. 1, 2, 21 (3,4,20 पार्ट) 22, 23 योजना निर्माण नगर 'ए' मुख्य अजमेर रोड के क्षेत्रफल 1271.68 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से व्यावसायिक (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कनिष्ठ बिल्डमार्ट इण्डिया प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण पुनः परीक्षण करने हेतु स्थगित किया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
19	158.19	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना राजमहल रेजिडेन्सी आवासीय योजना जमना लाल बजाज मार्ग के भू.सं. 6 व 7 जिनका कुल क्षेत्रफल 2257.50 वर्गमीटर है, की जारी अधिसूचना क्रमांक जविप्रा/उपा.1/2006/डी-1012 दिनांक 22.06.06 के निरस्तीकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :- (1) पूर्व में जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(3) की जारी अधिसूचना क्रमांक जविप्रा/उपा.1/2006/डी-1012 दिनांक 22.06.06 को निरस्त किया जावे। (2) भू.सं. जी-1, जी-2 को आवासीय रखते हुये शेष क्षेत्र को प्रारूप मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाये अनुसार संस्थानिक रखा जावे।	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
20	158.20	Agenda Regarding Approvel of tender for the work of Rate contract for Providing laying and Jointing of uPVC Pipe line in JDA Jurisdiction Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यू.पी.वी.सी. पाईप लाईन का रेट कान्ट्रैक्ट पार्ट ए के आईटम नं. 1 व 2 का 27.45 प्रतिशत अधिक व पार्ट ए के ही आईटम संख्या 3 से 9 का 65.45 प्रतिशत अधिक व पार्ट बी पर 20.10 प्रतिशत अधिक मै. सनराइज बिल्डिंग प्रा.लि. के पक्ष में कुल राशि 3,32,00,652.47 निविदा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	Exe. Eng. (PHE-I)


 सदस्य सचिव
 कार्यकारी समिति
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 4-1-201

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2010/डी-6616
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियंत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परिकोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (अभियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (विज्ञान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (सम्बन्ध)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 158वीं बैठक दिनांक 20.12.10 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती शुचि शर्मा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एच.एस. संचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री रामावतार मीना	अति. जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व)	कलेक्ट्रेट	सदस्य के प्रतिनिधि
7	श्री आर.पी. शर्मा	STP	Town Planning	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री विनय सक्सेना	XE	JVVNL	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9	श्री राफी मोहम्मद कुरेशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री आर.के. शर्मा	S.E. (Pro.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री एस. मित्रा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री आंकार मल सेनी	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री नरेन्द्र सिंह	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री पी. अरविन्द	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्रीमती नर्मदा इन्दोरिया	ओएसडी (पीआर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव
जयपुर, जयपुर